

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2024

विषय:- सौर ऊर्जा नीति-2013 के अंतर्गत स्थापित की गयी सौर पावर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को यूपीपीसीएल द्वारा क्रय करने के लिये (जी0बी0आई0) प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के पत्र संख्या-702/ नेडा-एसई-जी.बी.आई./01/298/2017, दिनांक 15-05-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर ऊर्जा नीति-2013 के अंतर्गत 450 मेगावाट क्षमता की निम्न 27 परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत पावर क्रय करने हेतु टैरिफ एवं पावर क्रय करने हेतु की गयी अद्यतन केस-1 बिडिंग में प्राप्त वेटेड एवरेज लेब्लाइज्ड टैरिफ के अन्तर की वास्तविक धनराशि जनरेशन बेस्ड इन्सेन्टिव अनुदान के रूप में यूपीपीसीएल को उपलब्ध कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-70 के अंतर्गत नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 करोड (रूपये दो अरब मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 83.7799830 करोड (रूपये तिरासी करोड सतहत्तर लाख निन्यानबे हजार आठ सौ तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय करने की निम्नलिखित एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र. सं. | फर्म का नाम | क्षमता (मेगावाट) | यूपीपीसीएल को अंतरित की जाने वाली धनराशि (रूपये में) |
|----------|--|------------------|--|
| 1 | जैकशन पावर प्रा.लि. नोयडा | 10 | 25993548 |
| 2 | मैसर्स समविष्ट इनर्जी सोल्यूशन्स प्रा.लि. दिल्ली (मूल परियोजना विकासकर्ता डी.के. इन्फ्राकॉन लिमिटेड | 10 | 34179768 |
| 3 | मैसर्स रिफेक्स इनर्जी (राज.) प्रा.लि. नोयडा | 10 | 33351948 |
| 4 | मैसर्स एज्योर सूर्या प्राईवेट लि. नई दिल्ली | 10 | 31052448 |
| 5 | मैसर्स एस्सल ऊर्जा प्रा.लि. (मूल परियोजना विकासकर्ता एस्सल इन्फ्राप्रोजेक्ट लि.) | 50 | 168139440 |
| 6 | मैसर्स स्पाईनल इनर्जी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (मूल मोजर बेयर इनर्जी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) | 20 | 35430696 |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | |
|----|--|-----|--------------|
| 7 | मैसर्स ग्रीन ऊर्जा प्राईवेट लिमिटेड (मूल परियोजना विकासकर्ता जैकशन इंजीनियर्स लि. नोयडा) | 30 | 100055844 |
| 8 | मैसर्स के.एम. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड (मूल परियोजना विकासकर्ता के.एम. कन्सोर्सियम, लखनऊ) | 5 | 16721964 |
| 9 | मैसर्स निरोषा पावर प्राईवेट लिमिटेड (मूल एकमे सोलर इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, गुडगांव) | 30 | 91501704 |
| 10 | मैसर्स सन सण्ड इन्फ्रा इनर्जी प्रा.लिमिटेड (मूल जटाधारी मर्चेटडाईज प्रा.लि. उत्तराखण्ड) | 10 | 33627888 |
| 11 | मैसर्स यूनिवर्सल सौर ऊर्जा प्रा.लि. (मूल सुखबीर एगो इनर्जी लि. नई दिल्ली) | 30 | 93157344 |
| 12 | मैसर्स टी.एन. ऊर्जा प्रा.लि. मुम्बई (मूल एस्सल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि. मुम्बई) | 50 | 64661940 |
| 13 | सुखबीर एगो इनर्जी लिमिटेड | 20 | 25864776 |
| 14 | सुखबीर एगो इनर्जी लिमिटेड | 10 | 12932388 |
| 15 | सुखबीर एगो इनर्जी लिमिटेड | 20 | 25864776 |
| 16 | मैसर्स आर्यावान रिन्यूएबल इनर्जी प्रा. लिमिटेड, सिकन्दराबाद (मूल सुराना टेलिकाम एण्ड पावर लि.) | 5 | 6466194 |
| 17 | मैसर्स लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा. लि. नई दिल्ली | 5 | 6466194 |
| 18 | मैसर्स अग्रवाल सोलर पावर (यूपी) प्रा. लिमिटेड, गोवा (मूल फेरोमार शिपिंग प्रा. लि.) | 5 | 6466194 |
| 19 | मैसर्स सलासर ग्रीन इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, बरेली (मूल एन.पी. एगो इण्डिया इण्ड. लि.) | 5 | 6466194 |
| 20 | श्री पीएसपीएन सिनर्जी प्रा.लि. कानपुर (मूल श्री राधे राधे इस्पात प्रा.लि.) | 15 | 19398582 |
| 21 | मैसर्स सहस्त्रधारा इनर्जी प्रा.लि. चेन्नई | 5 | 0 |
| 22 | मैसर्स टी.ए. ग्रीनटेक प्रा.लि. लखनऊ | 10 | 0 |
| 23 | मैसर्स पिनेकल इनर्जी प्रा.लि. नई दिल्ली | 5 | 0 |
| 24 | मैसर्स अडाणी ग्रीन इनर्जी प्रा.लि. अहमदाबाद | 50 | 0 |
| | कुल योग | 420 | 83,77,99,830 |

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- स्वीकृत धनराशि नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

9- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,77,99,830 (रुपये तिरासी करोड़ सतहत्तर लाख निन्यानबे हजार आठ सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010301 नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मानक मद 27 सव्तिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-10-18-X-2024-25-दिनांक: 14-6-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

संख्या-31/2024/719(1)/001-87-01014-45-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

- (1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।